11

बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC- 1137

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

पटना 15, दिनांक– 12/10/2018

विषय – पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम धुधुआ के खाता संख्या 60 खेसरा संख्या– 637, 638 तालुका घोड़ासहन में नहर चौक–बनकटवा–घोड़ासहन पथ किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग – आपका कार्यालय पत्रांक 1568 / सा0 दिनांक 05.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकरी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक 786 दिनांक 15.06.2017 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी–श्री सिद्धार्थ सिंह के पत्र दिनांक 22.03.2018 द्वारा विषयाधीन रिटेल आउटलेट हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत वन अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया था।

प्रस्ताव के भाग–II एवं स्थल निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक FC-288 दिनांक 28.03.2018 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी को भेजी गयी थी। निरीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव वन संरक्षक सीवान अंचल, सीवान के माध्यम से इस कार्यालय प्राप्त हुई है। परन्तु प्रस्ताव के साथ आपके स्तर से निर्गत की जाने वाली वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) का प्रमाण पत्र अप्राप्त है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के पूर्व जिला पदाधिकारी से FRA, 2006 का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक 802 दिनांक 20.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विहित प्रपत्र में प्रविष्टि कर आपको भेजी गयी है।

अतः अनुरोध है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

AKPandey 12/10/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)

O/C